

कार्यालय-प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी।

पत्रांक-1815/12-1, दिनांक, कालसी, 03-01-2026

सेवामें,

वन संरक्षक,  
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

**विषय :** जनपद देहरादून के विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्ठा की माजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला-II से पीपलसार तक भूड से मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 3.955 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/126632/2021)

**सन्दर्भ :** भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक-8बी/यू.सी.पी. /06/141/2021/एफ0सी0/1372 दि0 07/01/2022

महोदय,


उपरोक्त विषयक सन्दर्भितपत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव संख्या-FP/UK/UK/126632/2021 में भारत सरकार के पत्रांक-8बी/यू.सी.पी. /06/141/2021/एफ0सी0/1372 दि0 07/01/2022 से लगाई गई आपत्ति का निराकरण निम्न प्रकार किया जाता है-

क्र.सं.	आपत्ति	आपत्ति के निराकरण
1(i)	प्रस्तावित ग्राम आमवाला-मल्लावाला-साल के घने वन क्षेत्र तथा पूर्ण रूप से आरक्षित वन के मध्य स्थित है। संबंधित वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यह अतिक्रमण क्षेत्र तो नहीं है तथा इस हेतु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।	उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का दिनांक 18.12.2025 को वन कर्मियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। मार्ग साल के घने क्षेत्र तथा पूर्ण रूप से आरक्षित वन क्षेत्र के मध्य स्थित है तथा उक्त मार्ग का प्रयोग वन कर्मियों द्वारा जंगल गश्त तथा ग्रामीणों द्वारा आवागमन हेतु पूर्व से प्रयोग किया जा रहा है। आरक्षित वन क्षेत्र में पड़ने वाले मार्ग पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है, जिसकी प्रति संलग्न है।
1(ii)	ग्राम का अंतिम बिन्दु की तरफ से डिजिटल मैप के बिन्दु क्रं0 22 से 28 तक जोड़ने पर भी connectivity दी जा सकती है। अतः इस मार्ग में 6 मीटर चौड़ाई का प्रत्यावर्तन मान्य नहीं किया जाएगा। अतः अंतिम बिन्दु की तरफ से केवल बिन्दु क्रमांक 22-28 तक 6 मीटर चौड़ाई में पुनरीक्षित प्रस्ताव किया जाए।	अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-1702/25सी0 (व0भू0), दिनांक 27.05.2022 से अवगत कराया गया कि उक्त बिन्दु का प्रमाण-पत्र ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।
1(iii)	ग्राम पष्ठा से कम घनत्व के क्षेत्र से भी मार्ग प्रस्तावित किया जा सकता है जिस वैकल्पिक संमरेखण का कोई परीक्षण नहीं किया गया है। ग्राम पष्ठा से वैकल्पिक संमरेखण का सम्पूर्ण विवरण तुलनात्मक चार्ट में प्रेषित किया जाए।	अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-1702/25सी0 (व0भू0), दिनांक 27.05.2022 से अवगत कराया गया कि उक्त बिन्दु का प्रमाण-पत्र ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।
1(iv)	वर्तमान में ग्रामवासियों के आवागमन के मार्ग की जानकारी प्रस्तुत करते हुए के0एम0एल0 फाईल पर अंकित किया जाए।	अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-1702/25सी0 (व0भू0), दिनांक 27.05.2022 से अवगत कराया गया कि उक्त बिन्दु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।
2	Details filled at para B-I is not relevant to this proposal and therefore required to be removed.	अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक-2924/26सी0, दिनांक 08.08.2022 द्वारा आपत्ति का निराकरण किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।
3	Blank space plantation scheme of Rs. 650000/- other than CA uploaded online. State Govt. is requested to proposal the estimate for CA only as per the guideline.	उक्त प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनीकरण के साथ-साथ रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रेषित किया था। उक्त प्रस्ताव से रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण का प्राक्कलन पृथक कर दिया गया है।


क्र.सं.	आपत्ति	आपत्ति के निराकरण
4	Road-side plantation scheme of Rs. 3286211/- other than CA uploaded online. State Govt is requested to propose the estimate for CA only as per the guideline.	उक्त प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनीकरण के साथ-साथ रोड साईड वनीकरण का प्राक्कलन प्रेषित किया था। उक्त प्रस्ताव से रोड साईड वनीकरण का प्राक्कलन पृथक कर दिया गया है।
5	It is seen from the data given in para-14 of online part-II i.e. district profile that the CA stipulated (6678 ha) is not commensurate to the forest land diverted (21455 ha.) logically the CA stipulate should be approximately double the area of forest land diverted and the disparity if any is required to be clarified suitably.	प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा जारी District profile के अनुसार आंकड़े अपलोड कर दिये गये हैं।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार की पत्रांक-8बी/यू.सी.पी./06/141/2021/एफ0सी0/1372 दि0 07/01/2022 के द्वारा लगाई गई आपत्ति का निराकरण कर आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जा रही है कि उक्त आख्या को प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

  
भुवेंदीय,  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।

प्रतिलिपि : अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून



Office of the Executive Engineer, Construction Division, P.W.D., Dehradun, Uttarakhand  
E-mail: eeedpwwddn@rediffmail.com

Website: http://pwd.uk.gov.in

पत्रांक 1702/25 सी० (य०यू०)  
सेवा में,

दिनांक 27/05/2022

प्रभागीय वनाधिकारी,  
कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग,  
कालसी

**विषय:-** जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्ठा की माजरा (हरिजन बस्ती) आभवाला, मल्लावाला-11 से पीपलसार तक भूड से मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.955 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/Road/126632/2021)

**सन्दर्भ:-** भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी/यू.सी.पी.  
/06/141/2021/एफ०सी०/1372 दि० 07/01/2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उक्त वनभूमि प्रस्ताव पर जो आपत्ति लगाई गई थी उक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर लिया गया है:-

1 (i)	प्रस्तावित ग्राम आभवाला-मल्लावाला -'साल' के घने वन क्षेत्र तथा पूर्ण रूप से आरक्षित वन के मध्य स्थित है। संबंधित वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यह अविक्रमण क्षेत्र तो नहीं है तथा इस हेतु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।	प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा दी जानी है।
(ii)	ग्राम का अंतिम बिन्दु की तरफ से डिजिटल मैप के बिन्दु क्र० 22 से 28 तक जोड़ने पर भी connectivity दी जा सकती है। अतः इस मार्ग में 6 मीटर चौड़ाई का प्रत्यावर्तन मान्य नहीं किया जाएगा। अतः अंतिम बिन्दु की तरफ से केवल बिन्दु क्रमांक 22-28 तक 6 मीटर चौड़ाई में पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
(iii)	ग्राम पास्ता से कम घनत्व के क्षेत्र से भी मार्ग प्रस्तावित किया जा सकता है जिस वैकल्पिक समरेखण का कोई परीक्षण नहीं किया गया है। ग्राम पास्ता से वैकल्पिक समरेखण का सम्पूर्ण विवरण तुलनात्मक चार्ट में प्रेषित किया जाए।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
(iv)	वर्तमान में ग्रामवासियों के आवागमन के मार्ग की जानकारी प्रस्तुत करते हुए केएमएल० फाईल पर अंकित किया जाए।	प्रमाण पत्र संलग्न।
2 -	Details tiled at para B-1 is not relevant to this proposal and therefore required to be removed.	Online uploaded.
3 -	Blank space plantation scheme of Rs. 6,50,000/- other than CA uploaded online. State Govt. is requested to propose the estimate for CA only as per the guideline.	Online uploaded.
4-	Road-side plantation scheme of Rs.32,86,211/- other than CA uploaded online. State Govt is requested to propose the estimate for CA only as per the guidelines.	Online uploaded.

5-	It is seen from the data given in para-14 of online part-II i.e. district profile that the CA stipulated (6678 ha) is not commensurate to the forest land diverted (21455 ha). Logically, the CA stipulated should be approximately double the area of forest land diverted and the disparity, if any, is required to be clarified suitably.	प्रमागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा दी जानी हैं।
----	--	---

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए अग्रसारित करने की कृपा करें ताकि उक्त मार्ग की स्वीकृति प्राप्त की जा सके।



(इं० राजेश कुमार)  
अधिसासी अभियन्ता,  
नि०ख०, लो०नि०वि०,  
देहरादून।



दिनांक / /2022

पत्रांक /25 सी० (व०भू०)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा० विधायक, विकासनगर विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा भवन उत्तरखण्ड देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून।
3. वन संरक्षक शिवालिक वृत्त देहरादून।
4. अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो०नि०वि०, देहरादून।
5. श्री प्रदीप कुमार सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून।
6. श्री श्रीचरण सिंह गुसाईं खण्डीय अमीन निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून।

अधिसासी अभियन्ता,  
नि०ख०, लो०नि०वि०, देहरादून।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून  
Office of the Executive Engineer, Construction Division, P.W.D., Dehradun, Uttarakhand  
Website-<http://pwd.uk.gov.in> E-mail: [eeecdpwddd@rediffmail.com](mailto:eeecdpwddd@rediffmail.com)

Phone :- 0135-2729863



पत्रांक  
सेवा में,

2924/ 26 सी० (वनभूमि)

दिनांक 08 / 08 / 2022.

प्रभागीय वनाधिकारी,  
कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग,  
कालसी।

विषय - जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्ठा की मजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला-11 से पीपलसार तक भूड से मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.955 हे० वन भूमि का गैर वानिका कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किए जाने के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/126632/2021)

सन्दर्भ- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या- 8वी० / U.C.P/06/14/F.C/1372 Dated 07-01-2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक वन भूमि प्रकरण में कतिपय आपत्तियां लगाई गई थी, जिनका निराकरण कर इस कार्यालय के पत्रांक 1702/25सी० (वनभूमि०) दिनांक 27.05.2022 द्वारा ऑन लाईन अपलोड करते हुए हार्ड कॉपी आपके कार्यालय को प्रेषित की गई थी। आपके कार्यालय द्वारा सन्दर्भित पत्र में वर्णित एक आपत्ति का सुसंगत निराकरण किए जाने हेतु इस कार्यालय को ऑनलाईन सूचित किया गया है।

उपरोक्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा लगाई गई आपत्ति क्रमांक 2, जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रस्ताव में पैरा बी०-1 में Filled Details विषयक प्रस्ताव के सापेक्ष प्रासंगिक (Relevant) रूप में Filled नहीं है। इस परिपेक्ष्य में अवगत कराना है कि इस कार्यालय द्वारा पोर्टल में भरा गया विवरण विधिक (Manual) रूप में अंकित (Filled) नहीं किया गया है, पोर्टल पर खुद ब खुद (Automatically) रूप से अन्य वन भूमि प्रकरण का विवरण Details अंकित (Filled) हो गया है, जिसके निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अतः अनुरोध है कि कृपया विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए अग्रसारित करने का कष्ट करें।

भारतीय,

(इ० राजेश कुमार)  
अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून  
दिनांक : / / 2022

पत्रांक : / 26 सी० (वनभूमि)  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. श्री प्रदीप कुमार, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून को सूचनार्थ एवं प्रकरण पर आवश्यक अनुश्रवण हेतु प्रेषित।
3. श्री श्रीचरण सिंह गुसाई, श्री उत्तम सिंह रावत, खण्डीय अमीन, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून